आवेदन : प्रक्रिया सहायक

मध्यप्रदेश कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत खतरनाक कारखानों के पंजीयन हेतु आवेदन

श्रम सेवा पोर्टल : http://www.labour.mp.gov.in

(कारखाना सम्बंधित सभी सेवाएं एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल से संचालित है)

पोर्टल: https://www.mponline.gov.in/PORTAL/SERVICES/FACTORYREG/LOGIN/FRMLOGIN.ASPX

1.प्रयोज्यता	मध्यप्रदेश कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वह अधिभोगी जिनको खतरनाक कारखाने का पंजीयन करना हो |
2. आवेदन कब करें?	अधिभोगी द्वारा परिसर को कारखाने के रूप मेंउपयोग करने के 15 दिन पूर्व
3. आवेदन कौन कर सकता है	केवल अधिभोगी ही आवेदन कर सकते हैं | निम्नलिखित अधिभोगी की श्रेणी के लिए मान्य हैं : 1.प्रोप्रायटरशीप की दशा में- प्रोप्रायटर 2.भागीदारी फर्म होने की दशा में- कोई भी भागीदार 3.लिमिटेड कंपनी होने की दशा में-कोई भी संचालक
4. पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ	कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरणसम्बन्धी निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध है : ⇨ नवीन पंजीयन ⇨ पंजीयन नवीनीकरण ⇨ कारखाने के प्लान पर अनुमोदन ⇨ अनुज्ञप्ति में संशोधन
5. आवेदन कहाँ करें?	कारखाने अधिनियम सम्बंधित सभी सेवाएं एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है | **खतरनाक कारखाने के पंजीयन हेतु** नागरिक सेवाएं→आवेदन → फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें a) यदि आप पूर्व से पंजीकृत है तोअपना यूजर-आईडी एवं पासवर्ड उपयोग करें - जो कि आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया था | **वेबसाइट** : Account Sign-Up(For Existing Users)

	अथवा b) New User पर क्लिक कर अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें| (दर्ज मोबाइल नंबर पर यूजर-आईडी एवं पासवर्ड भेजा जायेगा) **वेबसाइट** : Register New User
6. आवेदनप्रक्रिया	पोर्टल पर बने अकाउंट से लॉग-इन् करें तथा बाएं ओर उपलब्ध विकल्पों में से नवीन पंजीकरण विकल्पों (New Registration Options) पर क्लिक कर Apply for Factory Registration(Form-4)चयनित करें |तत्पश्चात् फॉर्म से सम्बंधित घोषणापत्र पर अपनी सहमति टिक लगाकर(√) सुनिश्चित करें | फैक्ट्री प्लान अनुमोदन के समय जारी FAC नंबर प्रविष्ट करें ऑनलाइन फॉर्म की सभी प्रविष्टियाँ भरकर आवेदन फॉर्म-4 को हस्ताक्षरित कर स्कैन कर लें | डॉक्यूमेंट के ब्रीफकेस में सूची अनुसार प्रपत्र अपलोड करें | तदुपरान्त पेमेंट हेतु Proceed to Payment पर क्लिक करें| Payment Options में जाकर लाइसेंस शुल्क का चालान अपलोड करें | पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदन पोर्टल पर दर्ज हो जायेगा तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आवेदन सम्बन्धी जानकारी SMS द्वारा भेजी जायेगी जिसमे एफ.ए.सी नंबर संलग्न होगा | पोर्टल पर एफ.ए.सी नंबर डाल कर भविष्य में आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है | यदि पूर्व से प्लान का अनुमोदन नहीं लिया गया है तो फॉर्म-4 के पूर्व फॉर्म-1 A भी अपलोड करें |
7. आवश्यक दस्तावेज	**दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करें :** 1. आवेदन फॉर्म-4 की हस्ताक्षरित प्रति | 2. अनुज्ञप्ति शुल्क जमा होने के सम्बंध में बैंक चालान/साइबर ट्रेज़री रसीद/ लोक सेवा केंद्र की रसीद जो सम्बंधित हेड “0230-श्रम एवं रोज़गार, 104-कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत” जमा हुआ हो | 3. पूर्व में जारी हुई अनुज्ञप्ति की प्रति | 4. सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी भवन स्थायित्व प्रमाण-पत्र निर्धारित फॉर्म नं.2 पर मूलप्रति(एक) 5. निर्माणी में उत्पादन प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण/उत्पादन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट 6. भूमि आवंटन/शेड/भवन आवंटन के सम्बंध में प्रमाण(लीज़ डीड/सेल डीड/रेन्ट डीड) 7. औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कारखाना होने की दशा में

	अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी भूमि व्यपवर्तन आदेश की प्रति / डायवर्सन से सम्बंधित जानकारी का पत्र | 8. जिला उद्योग केंद्र एवं व्यापार केंद्र अथवा भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र अथवा इस सम्बंध में जानकारी | 9. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा(वाटर एंड एयर) जारी सहमति पत्र की प्रति/स्व-प्रमाणीकरण पत्र 10. भागीदारी लेख/संचालक मंडल की प्रमाणित प्रतिलिपि/प्रोप्रायटर होने की स्थिति में प्रमाण / मेमोरेन्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति | 11. ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका द्वारा जारी अनुज्ञप्ति/अनुमति पत्र की प्रति 12. उत्पादन कार्य के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले मटेरियल/रसायनों के नाम एवं अधिकतम भंडारित मात्रा | 13. कारखाना अधिनियम की धारा (cb) में परिभाषित खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों के लिए ऑन-साइट इमरजेंसी प्लान तैयार कर तीन प्रतियों में (प्रस्तुत करने का प्रमाण) 14. कारखाना में स्थापित प्रेशर वेसल्स , लिफ्टिंग मशीन आदि की सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी जांच रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर अथवा इस सम्बंध में जानकारी | 15. स्थापित विद्युत लोड के सम्बंध में म.प्र विद्युत् मंडल द्वारा जारी बिल की प्रति/स्थापित विद्युत् भार का प्रमाण 16. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत कर्मकार कल्याण उपकर सम्बन्धी स्वनिर्धारण प्रपत्र 1 पर जानकारी तथा जमा राशि का प्रमाण 17. सोल्वेंट प्लांट हेतु सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी प्लांट फिटनेस सर्टिफिकेट एवं ऑपरेटर फिटनेस सर्टिफिकेट अथवा इस सम्बंध में जानकारी|
8. आवेदन की स्थिति	जमा किये हुए आवेदन की तीन स्थितियां हो सकती है : - आवेदन पर स्वीकृति **या** - आवेदन पर आपत्ति **या** - आवेदन पर अस्वीकृति (रद्द होना) उपरोक्त किसी भी स्थिति में आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जायेगा |

9. आवेदन शुल्क	कारखाने के नवीन पंजीयन हेतु शुल्क निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार परगणित है : (1) कुल रेटेड होर्सपावर जो कि कारखाने में स्थापित किया गया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है | (2) नियोजित कर्मकरों की अधिकतम संख्या| कारखानों के लिए पंजीकरण के लिए देय शुल्क देखें |
10. एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग हेतु निर्धारित शुल्क	यदि एम.पी.ऑनलाईन किओस्क सेवा का उपयोग किया जाता है तो: रू.800/- **या** यदि नागरिक स्वयं ही एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से आवेदन दर्ज करता है : रू.480/- **या** यदि आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से जमा किया जाता है तो : रू.30/- अतिरिक्त शुल्क लोक सेवा केन्द्र द्वारा |
11. शुल्क जमा करने की विधि	सायबर ट्रेज़री के माध्यम सेः- ऑनलाईन **साईबर कोषालय(Cyber Treasury)**की पोर्टल पर श्रम विभाग के अंतर्गत निर्धारित हेड में राशि जमा करें । नेट बैंकिंग/ऑनलाईन से शुल्क अन्तरण करें, ट्रेज़री वेबसाईट द्वारा जनरेट चालान/रसीद को सेव कर प्रिंट लें। कृपया चालान/सायबर ट्रेज़री रसीदकी जानकारी ऑनलाईन फार्म में दर्ज करें। **ट्रेज़री हेड (शुल्क जमा हेतु)** **0230-00-104-0000 - Fees realized under Factory Act** **या** चालान द्वाराः- स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा में जाकर ऑनलाईन फार्म में मुख्य-उप शीर्ष एवं अन्य जानकारी दर्ज कर शुल्क जमा करें | **या** एम.पी.ऑनलाईन किओस्क पर नगद(*) जमा कर अथवा भुगतान प्रक्रिया के समय आवेदक स्वयं के नेट बैंकिंग/ क्रेडिट / डेबिट कार्ड उपयोग कर जमा कर सकता है | (*) - एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से किये जा रहे नगद भुगतान प्रक्रिया की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी)
12.समय सीमा	आवेदन जमा(आवश्यक दस्तावेजों सहित) होने की दिनांक से 30 कार्य दिवस

	के अन्दर| यदि कोई कार्यवाही उक्त समय-सीमा में नहीं की जाती है तो अपील करने का प्रावधान है |
13.अपील	आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर अथवा आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपील की जा सकेगी:- ⇨ *अपील अधिकारी:* प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
14.प्रमाणपत्र किस प्रकार प्राप्त होगा	डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त अनुमोदित प्लान जनरेट होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा | आवेदक डिजीटल हस्ताक्षर युक्त अनुमोदित प्लान एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल पर अपना एफ.ए.सी नंबर तथा अकाउंट यूजरनेम पासवर्ड उपयोग कर डाउनलोड कर सकता है |
15. डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन	आवेदक यदि चाहे तो स्वयं की संतुष्टि के लिये डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल हस्ताक्षर पर क्लिक करें।

ध्यान देने योग्य बातें :

- पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है अतः कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर भरें, यही मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर्ड माना जाएगा तथा अग्रिम संपर्क/सूचना हेतु उपयोगी होगा|
- आवेदन करते समय आवेदक/प्रबंधक का आधार नंबरअथवा पासपोर्ट नंबर डालना अनिवार्य है|
- आवेदन के समय दिए गए **एफ.ए.सी नंबर** तथा **यूजरनेम-पासवर्ड** को आगामी सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाए|
- आवेदन में यदि आवश्यक दस्तावेज तथा जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो आवेदनको औ. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबधित कार्यालय द्वारा आपत्ति में डाला जाएगा| आपत्तिजारी होने पर आवेदनकर्ता को ऑनलाइन अथवा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS**द्वारा सूचित किया जाएगा|
- यदि आवेदन पर आपत्ति जारी हुई है, तो कृपया नवीन आवेदन समान त्रुटिपूर्ण जानकारी के साथ न दायर करें तथा एक बार में तथा अविलम्ब आपत्ति के कारणों का अनुपालन कर ऑनलाइन प्रेषित करेंअन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है |
- प्रक्रिया सम्बन्धी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु सम्बंधितऔ. स्वास्थ्य एवं सुरक्षाके जिला कार्यालय में संपर्क करें |
- एम.पी.ऑन.लाईन किओस्क के माध्यम से आवेदन प्रेषित करने पर निर्धारित फीस से ज्यादा फीस नहीं दिया जाना चाहिये |
- एम.पी. आन लाइन कियोस्क या लोक सेवा केन्द्र की फीस जमा किये बिना प्रक्रिया उस चरण से आगें नहीं बढ़ेगी । यह लाइसेंस फीस से पहले अलग से जमा करना होगा।
- लाइसेंस फीस चालान जनरेट करनेके बाद सेव करके प्रिंट ले सकते है तथा साइबर ट्रेझरी या ऑनलाइन फीस जमा नही करना है तों इस चरण पर बाहर आ सकते है । फिर इस जनरेटेड चालान के साथ उसमें अंकित फीस भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पर अगले एक/दो/तीन दिनों में जमा कर आवेदन को एम.पी. ऑनलाइन पोंटल पर दो तीन दिनों बाद आवेदन क्रमांक FAC............ डाल कर खोला जा सकता है | यह जहां पर सेव कर लॉग-आउट किया था वहीं से खुलेगा फिर ऑनलाइन फार्म में फीस की जानकारी भरकर ओरीजनल चालान की स्केन कापी लोड कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।